न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/19/2026 दायर दिनांकः–23.02.2026 रजि0 न0 2026/36

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री सरत चंद जैन, नि. 13, पालम मार्ग, बसंत विहार, नई दिल्ली.110057	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 24.03.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत ऑनलाइन सूचना आवेदन दिनांक 12.01.2026 के परिपेक्ष्य में किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिलने से व्यथित होकर सूचना दिलवाये जाने हेतु अपील पेश की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 10.03.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील पत्रांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2026/306 दिनांक 23.03.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 12.01.2026 को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार RTI Online Portal पर जरिये Application No. 293334863700223 दिनांकः 12.01.2026 के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में ऑनलाईन पत्र सं. 2683510440 दिनांक 22.01.2026 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को पंजीकृत–पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पूर्ण विशिष्टीकृत नहीं होने, खोजबीन कर सृजन किए जाने योग्य होने एवं काल्पनिक/प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक नियमों के आलोक में विनिश्चय किया जा कर सूचित किया जा चुका है। प्रति संलग्न है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना के क्रम में ऑनलाइन पत्र सं. 2683510440 दिनांक 22.01.2026 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है एवं प्रथम अपील के अनुसरण में लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2026/306 दिनांक 23.03.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 24.03.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर
अलवर (राज०)